मि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का नियमानुसार जहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः ौजा बोड़िद खुर्द तहसील–जायल के खेत खसरा नं. 30, 40 , 38 में वादीगण एवं प्रतिवादी ंख्या 1 से 9 को सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से विभाजन बाबत् ाप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री केया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बोड़िद खुर्द तहसील–जायल के खेत खसरा नं. 30, 40 , 38 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से विभाजन बाबत् प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी लक्ष्मणसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद खुर्द का खेत खसरा नंबर 40 रकबा 2.8652 हैक्टेयर में से 0.5356 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया हैं
2. प्रतिवादी संख्या 1 हनुमानसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोंड़िद खुर्द का खेत खसरा नंबर 30 रकबा 3.1323 हैक्टेयर में से 2.6630 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रेवन्तसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोंड़िद खुर्द का खेत खसरा नंबर 30 रकबा 3.1323 हैक्टेयर में से 0.4693 हैक्टेयर भूमि माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 40 रकबा 2.8652 हैक्टेयर में से 2.1937 हैक्टेयर भूमि माफिक नजरीनक्शानुसार रखी गई है।
4. प्रतिवादी संख्या 9 प्रेम कंवर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद खुर्द का खेत खसरा नंबर 38 में से 2.1274 हैक्टेयर भूमि नजरीनक्शानुसार रखी गई है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद हो।
6. खसरा नंबर 38 मेंसे 0.0741 हैक्टेयर भूमि व खसरा नंबर 40 में से 0.1359 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग एवं उपभोग हेतु वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2व 9 के सामलाती हक बंट में नजरीनक्शानुसार रहेगी।
7. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/03/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner